सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 579 राँची, मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 फ़रवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-537/2014 का० 2562-- श्री रविन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-324/03, गृह जिला हजारीबाग), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोड्डा के विरूद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक 574N/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 21.08.2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है :-

आरोप सं०-1- मनरेगा आकस्मिकता मद से कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा को अनियमित तरीके से वित्त नियमावली के नियम 235 एवं 241 तथा 733/दिनांक 09.03.1974 का उल्लंघन करते हुए कुदाल, गैता, धामा, बेलचा आदि क्रय करने हेतु 35 लाख रूपये भुगतान करने का आदेश दिया गया । उप विकास आयुक्त-सह-प्रभारी उपायुक्त की हैसियत से गलत ढंग से कार्यपालक अभियंता को चेक संख्या-079214 द्वारा 10 (दस) लाख रूपये मनरेगा आकस्मिक मद से उपलब्ध कराये गये थे, उस व्यय की सार्थकता जाँचे बगैर एवं MIS इंट्री कराये बगैर आपके द्वारा पुनः दिनांक 04.02.2009 को कार्यपालक अभियंता को 25 (पचीस) लाख रूपये उपलब्ध करा दिये गये। इस प्रकार फर्जी क्रय के द्वारा सरकारी राशि का बंदरबांट कर दिया गया।

आरोप सं०-2- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 28012/3/06-06/दिनांक 30.03.2007 की कडिंका-3 में प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत अनुमान्य कार्यों में धामा, बेलचा, कुदाल, गैता आदि के क्रय का कोई का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11063/3/60 नरेगा, दिनांक 30.07.2009 की कंडिका-6 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि Tools एवं Instruments के क्रय पर होने वाले व्यय का सामग्री मद से। आपके द्वारा उक्त आदेश का खुला उल्लंघन किया गया और घोर अनियमित तरीके से 35 लाख रूपये आकस्मिकता मद से उपलब्ध कर दिया गया, जिसका गबन कर लिया गया।

आरोप सं०-3- आपके द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा द्वारा समर्पित प्रस्ताव को बिना जाँचे-परखे तथा उसकी उपादेयता की जाँच कराये बगैर 242 योजनाओं की एक साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । Catchment area एवं Command area का सर्वेक्षण/सत्यापन कराये बगैर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपायुक्त को प्रस्ताव दिया गया। यहाँ तक कि मनरेगा के प्रावधानों को नजरअंदाज कर श्रम एवं सामग्री के अनुपात 60:40 का भी घोर उल्लंघन कर कुल 45,33,27,813 रूपये की प्राक्कलित राशि वाली 242 योजनाओं को प्राशसनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपायुक्त को गलत प्रस्तावित किया गया।

आरोप सं०-4- आपके द्वारा मनरेगा अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा को उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन तथा अभिश्रवों की प्रति MIS हेतु उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गया, जिससे मनरेगा 2005 की धारा-4(3) अनुसूची-I की कंडिका-13 एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना झारखण्ड के अध्याय-VIII की कंडिकाओं 2,4,5,6,7,8 (f)(4) (5) का उल्लंघन हुआ है।

आरोप सं०-5- जिले में मनरेगा की क्रियान्वितयोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आप पूर्ण जिम्मेवार है लेकिन आपके द्वारा इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया जिससे राशि का गबन एवं निष्फल व्यय हुआ। फलतः आपके द्वारा मनरेगा की धारा-14(5) का उल्लंघन किया गया है। स्पष्टतः मनरेगा के उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आप जिम्मेवार है।

आरोप सं०-6- मनरेगा के दिशा निर्देशिका की कंडिका-8.2.3 की के आलोक में आपको 20: योजनाओं को नियमकालीन निरीक्षण करना है। लेकिन आपके द्वारा एक भी उन लघु सिंचाई प्रमंडल की योजनाओं का निरीक्षण कर यथोचित कार्रवाई हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है। स्पष्टतः मनरेगा के उक्त प्रावघानों के उल्लंघन एवं राशि के गबन तथा निष्फल व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण जिम्मेवार है।

आरोप सं०-7- वर्ष 2007-08 में कुल 66 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी प्राक्कलित राशि 970.02951 लाख रूपये थे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 193.983 लाख रूपये विमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया था जिसका कोई लेखा-जोखा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया और उसकी MIS प्रविष्टि भी नहीं करायी गयी। इसके बावजूद पुनः 2008-09 में 245 योजनाओं जिसके प्राक्कलित राशि 4565.81122 रूपये थी, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किया गया। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अलग-अलग तिथियों को 904.228 लाख रूपये विमुक्त करने हेतु प्रस्ताव भी दिये गये।

इसी प्रकार गत वर्षों का लेखा जोखा प्राप्त किये गये बगैर पुनः वर्ष 2009-10 में 375.21788 लाख रूपये लघु सिंचाई प्रमंडल का विमुक्त करने हेतु प्रस्ताव दिया गया। पूर्व में विमुक्त राशियों को समायोजन कराये किये बिना ही अग्रिम के रूप में राशि की धड़ल्ले से विमुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया जाता रहा है। स्पष्टतः आपके द्वारा निधि के सम्यक उपयोग एवं प्रबंधन में लापरवाही बरती गयी है तथा मनरेगा के धारा-23(1) का खुला उल्लंघन किया गया है।

आरोप सं०-8- जिले में उप विकास आयुक्त के रूप में योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित कराने हेतु मनरेगा मार्ग निर्देशिका की कंडिका -13.1, 13.3, 13.6 एवं 13.7 का उल्लंघन कर उन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया। इसके साथ-साथ मनरेगा मार्गदर्शिका की कंडिका -13.12 के आलोक में जिला स्तरीय मॉनिटर बनाकर उन योजनाओं का सधन अनुश्रवण कराने हेतु कोई ठोस एवं कारगर उपाय भी नहीं कराया गया। फलस्वरूप मनरेगा दिशा निर्देशिका के उपरोक्त कंडिकाओं एवं प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

आरोप सं०-09- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की दिशा-निर्देशिका की कंडिका-2.2(A)(i) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि- "Project director or M.D will be overall incharge of the activities of the DRDA and responsible for interaction with district/state administration as wel as with the govt. of India. The P.D or M.D shall be exclusively for the DRDA work."

मनरेगा के कार्यों का निष्पादन DRDA के माध्यम से ही किया गया है अतएव उप विकास आयुक्त के रूप में M.D के कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया गया है । स्पष्टतः उक्त दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन किया गया है।

आरोप सं०-10- योजना एवं विभाग के पत्रांक-4587/ दिनांक 05.09.1974 के आलोक में उप विकास आयुक्त को विकास प्रशासन के कार्य संचालन हेतु समाहरणालय के विकास के सभी दायित्व सौंपे गये है। मनरेगा योजना रोजगार सृजन के साथ-साथ विकास से भी संबंधित है। अतएव उप विकास आयुक्त का दायित्व स्वतः परिभाषित हो जाता है। अतएव उप विकास आयुक्त द्वारा उक्त सरकारी आदेश की अवहेलना की गयी है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4409, दिनांक 19.05.2014 एवं संकल्प संख्या-412, दिनांक 19.01.2016 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके विरूद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में याचिका W.P.(S) No. 4049/2014 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 07.04.2016 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प संख्या-4409, दिनांक 19.05.2014 द्वारा संचालित कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2016 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No.226/2017 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18.07.2018 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-6335, दिनांक 21.08.2018 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड से विभागीय कार्यवाही पुनः प्रारंभ कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-227, दिनांक 30.10.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 25% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-9052, दिनांक 13.12.2018 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसके

अनुपालन में श्री प्रसाद के पत्र, दिनांक 26.12.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया-

(i) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा के अनुरोध दूरभाष पर श्री वीरेन्द्र राम (अधिसूचित उपायुक्त) से निदेश प्राप्त करने के बाद ही राशि उपलब्ध करवायी गयी।

(ii) सरकारी पैसा लघु सिंचाई प्रमंडल के प्रमंडलीय कार्यालय को उपलब्ध करवाया गया, किसी प्राइवेट व्यक्ति या एन०जी०ओ० को नहीं दिया गया ।

(iii) राशि का हस्तानान्तरण अंतर विभागीय हस्तानान्तरण था। एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से दिया गया था, इसलिए निजी लाभ की कोई बात नहीं थी।

(iv) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा बाद में अपनी चेक संख्या -105486, दिनांक 29.06.2011 द्वारा आकस्मिकता मद का 9,93,740/- रुपया वापस कर दिया गया था। अतएव इस राशि की कोई हानि राज्य सरकार को नहीं हुई और न इससे कोई निजी लाभ का निष्कर्ष ही निकाला जा सकता है।

(v) आरोपी पदाधिकारी का अनुरोध है कि 25% पेंशन राशि की कटौती बहुत बड़ी कटौती है। वे डायबीटिज एवं उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित हैं एवं इनकी पत्नी दोनों आँखों से अंधी हो चुकी है।

समीक्षोपंरात, श्री रविन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोड्डा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 5% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड इन पर अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 579 -- 50